

प्रकरण क्रमांक सिंगल 151 -पोबीआर/14

जिला ग्वालियर

क्र.सं.	कार्यवाही तथा आदेश	प्रकार और आगमनापत्र के द्वारा
	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। एवं सुरक्षा आवेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए सूचनापत्र के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। सूचनापत्र में आवेदकों से जानकारी नहीं गई है। आवेदकों का चाहिए था कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करते और उन पर क्या कार्यवाही हुई है उसके उपरांत ही इस न्यायालय में आते किंतु सूचनापत्र के विरुद्ध जो इस न्यायालय में आए हैं वे उचित नहीं हैं। अतः यह सुरक्षा अपरिपक्व होने से इसके स्तर पर अग्रहण किया जाता है। आवेदक सूचित हैं कि प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	

(सम.के. सिंह)
सदस्य

राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर

न्यायालय ~~महोदय~~ महोदय ग्वालियर संभाग
ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक -- /2013-14 निगरानो माल

दिनांक 15/11-18/11-14

1. उत्तम सिंह
2. माधौसिंह
3. चन्द्रेश सिंह
4. सिवा सिंह

पुत्रगण गिरवार सिंह, निवासीगण ग्राम उम्मेदगण
दरौरी, तहसील मोहना, जिला ग्वालियर

.....आवेदकगण

बनाम

मध्यप्रदेश शासन जरिये नायब तहसीलदार मोहना जिला
ग्वालियर

.....अनावेदक

डा. राजेश सिंह, कर्मि
16/11/14

7/11/14
16/11/14